तुलू भाषा

प्रलिमि्स के लयि

तुलू भाषा, राज्य की राजभाषा या भाषाएँ, राष्ट्रीय शकि्षा नीत

मेन्स के लयि

महत्त्वपूर्ण नहीं

चर्चा में क्यों?

मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में तुलू भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधकिारकि भाषा का दर्ज़ा देने और संवधिान की आठवीं अनुसूची में शामलि करने का अनुरोध कयिा है।

- वर्ष 2020 में नई राष्ट्रीय शकि्षा नीत (National Education Policy- NEP) में तुलू को शामलि करने की मांग उठी थी।

कसिी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

- भारतीय संवधिान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधति है।
- संवधिान का अनुच्छेद 345 कहता है क "राज्य का वधिानमंडल कानून द्वारा राज्य में उपयोग की जाने वाली कसिी एक या अधकि भाषाओं को या हदिी को उस राज्य के सभी या कसिी भी आधकिारकि उद्देश्य के लयि उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अपना सकता है"

संवधिान की आठवीं अनुसूची

- आठवीं अनुसूची से संबंधति संवैधानकि प्रावधान संवधिान के अनुच्छेद 344 (1) और 351 में हैं।
- आठवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध भाषाएँ हैं:
  - (1) असमयि (2) बांग्ला (3) गुजराती (4) हदिी (5) कन्नड़ (6) कश्मीरी (7) कोंकणी (8) मलयालम (9) मणपिुरी (10) मराठी (11) नेपाली (12) उड़यि (13) पंजाबी (14) संस्कृत (15) सधिी (16) तमलि (17) तेलुगु (18) उर्दू (19) बोडो (20) संथाली (21) मैथलिी और (22) डोगरी।
- भाषाओं को संवैधानकि संशोधनों के माध्यम से जोड़ा जाता है।

प्रमुख बदिु

'तुलू' भाषा के बारे में:

- तुलू (Tulu) एक द्रवड़ि भाषा है, जसिे बोलने-समझने वाले लोग मुख्यतया कर्नाटक के दो तटीय ज़लिों और केरल के कासरागोड ज़लि में रहते हैं।
  - दक्षणि भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों के तुलू बाहुल्य क्षेत्र को तुलूनाडू नाम से भी जाना जाता है। तुलूनाडू को अलग राज्य का दर्ज़ा देने की मांग की जा रही है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, तुलू भाषी (तुलू भाषा बोलने वाले) स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 18,46,427 थी।
- तुलू में सबसे पुराने उपलब्ध शलिालेख 14वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के हैं।
- कुछ वर्ष पहले कर्नाटक सरकार द्वारा तुलू को स्कूल में एक भाषा के रूप में पेश कयिा गया था।

तुलू भाषा की कला और संस्कृत:

- तुलू में लोकगीत रूपों जैसे- पद्दना (Paddana) और पारंपरकि लोक रंगमंच यक्षगान के साथ एक समृद्ध मौखकि साहत्यि परंपरा है।

- तुलू में सिनेमा की एक सक्रिय परंपरा भी है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7 फिल्में तुलु भाषा में बनती हैं।

मान्यता का मामला:

- **संविधान का अनुच्छेद 29:** यह "अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण" से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग, जिसकी अपनी विशिष भाषा, लिपि या संस्कृति है, को बनाए रखने का अधिकार होगा।
- **युलु उद्घोषणा:**
  - युलु उद्घोषणा (Yuelu Proclamation) को **यूनेस्को** (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) द्वारा 2018 में सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत के चांग्शा में भाषा संसाधन संरक्षण पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राज्यों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से विश्व में भाषायी विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन पर आम सहमति पर पहुँचने का आह्वान करता है।
- **आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता के लाभ:**
  - **साहित्य अकादमी** से मान्यता।
  - साहित्य अकादमी को भारत की **राष्ट्रीय पत्र अकादमी** भी कहा जाता है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में निहित साहित्य को संरक्षित करती है और उन्हें बढ़ावा देती है।
  - तुलू साहित्यिक कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद।
  - संसद सदस्य (Members of Parliament- MP) और विधानसभा के सदस्य (Members of the Legislative Assembly- MLA) क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में तुलु बोल सकते हैं।
  - सिविल सेवा परीक्षा जैसी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में तुलू में परीक्षा देने का विकल्प।
  - केंद्र सरकार की ओर से विशेष फंड।
  - प्राथमिक और हाईस्कूल में तुलू का अध्यापन।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/tulu-language